न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2016/00130
सिविल प्रकरण संख्या:– 15/2016 तारीख रजू 29.03.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. प्रभुदयाल चौधरी पुत्र श्री केसर लाल चौधरी निवासी सब्जी मण्डी शहर, सवाई माधोपुर (फर्म मालिक)– मैसर्स गंगासहाय प्रभुदयाल सब्जी मण्डी छत्री बाजार, शहर, सवाई माधोपुर ।
2. सुनील हेमनानी (प्रोपराईटर) मोहित एजेन्सी 181 शॉपिंग सेन्टर कोटा राजस्थान
3. धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) लक्ष्मी एजेन्सी 344 बी रोड नं0 16 वी के आई एरिया जयपुर–302013
4. नेस्ले इण्डिया लिमिटेड एम–5ए कनॉट सर्कस नई दिल्ली 110001 (निर्माता)

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री वेद प्रकाश पूर्विया, खा0सु0अ0 स्वयं।
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री शिवांग्शु नवल एडवोकेट, श्री अभय गुप्ता एडवोकेट एवं सुश्री आकांक्षा नोवल एडवोकेट

निर्णयः– दिनांक 25.02.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 22.05.2015 को समय 03.00 पी.एम. पर गंगा सहाय प्रभुदयाल सब्जी मण्डी छत्री बाजार शहर, सवाईमाधोपुर का निरीक्षण कर दुकान पर मौजूद व्यक्ति प्रभुदयाल चौधरी को अपना परिचय देते हुए दुकान में विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मेगी (2 मिनिट्स नूडल्स) 280 ग्राम पैक में मिलावट का शक होने पर जांच हेतु नमूना लेने की सूचना फार्म नं0 5ए पर विक्रेता को देकर एवं कुल 8 पैकिट मेगी (2 मिनिट्स न[illegible]) [illegible] कर राशि 360/– रुपये नकदी चुकाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

रसीद प्राप्त कर नियमानुसार नमूना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड क्रमांक **H-645** के अन्तर्गत संग्रहित किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी सं0 1 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी सं0 2 व प्रत्यर्थी स0 2 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 को कार्यवाही में शामिल किया गया। उक्त लिये गये नमूने को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 1371/एक्ट/2015/610 दिनांक 23/06/2015 के द्वारा उक्त नमूना को सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड घोषित किया गया, जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/703 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं प्रकरण में जवाब पेश किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि मेगी (2 मिनिट्स नूडल्स) को प्रयोगशाला की जांच में सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड घोषित किया है, अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड एवं सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ मेगी (2 मिनिट्स नूडल्स) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत जबाव/लिखित बहस पेश करते हुए अनुरोध किया कि उनके द्वारा निर्मित व बिक्रीत प्रोपराइटरी फूड "इंस्टेंट नूडल विथ टेस्टमेकर" के मिसब्राण्डेड एवं सबस्टेण्डर्ड पाये जाने के आरोप बेबुनियाद है। अभियुक्त का खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड एवं सबस्टेण्डर्ड नहीं है एवं क्रमशः धारा 3(1)(zf)(A)(i) तथा 3(1)(zx) का उल्लंघन नहीं करता है। जिस प्रयोगशाला में नमूने की जांच की है वह एन.ए.बी.एल. (NABL) प्राधिकृत प्रयोगशाला नहीं है न ही एफ.एस.एस.ए.आई.(FSSAI) द्वारा अधिसूचित है। इस कारण धारा 3(P) तथा 43(1) के तहत वैद्य व मान्य "खाद्य प्रयोगशाला" नहीं है। अतः ऐसी प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट भी अवैध व अमान्य है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 की धारा 46(3) और नियम 2.4.2(5) और (6) के उल्लंघन में, 15 दिन की देरी के बाद 23.06.2015 को प्रस्तुत की गई थी जबकि नमूना 25.5.2015 को जांच हेतु लेब में भेजा गया जोकि 14 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस तरह की देरी के लिए धारा 46(3) और उपरोक्त निमयों में प्रावधान के तहत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है या विस्तार नहीं मांगा गया है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट धारा 46(3) और नियम 2.4.2(5 और 6) के विपरीत है। यह अनुचित देरी है जो खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती है। खाद्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

पदार्थ मसाला मिक्स पाउच बन्द रीटेल पैकेट का एक भाग है जो अलग से विक्रय हेतु नहीं है। इसलिए यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम, 2011 के अधिनियम 2.2.1(1), 2.2.2(1), (4) व (6) के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है। इंस्टेंट नूडल विथ टेस्टमेकर प्रोपराइटरी फूड है जिसके लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है यह निजस्वमूलक खाद्य के रूप में वर्गीकृत है। नियम 2.12.1 के अनुसार वह खाद्य पदार्थ जिसका मानक विनिर्दिष्ट नहीं है निजस्वमूलक खाद्य है।

वकील अभियुक्तगण ने यह तर्क भी दिया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर अनुज्ञापन, परीक्षण एवं मानकों के विषय में FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत एडवायजरी जारी की जाती है। इस संबंध में मा. मुम्बई उच्च न्यायालय ने रिट सं. 2746/2013 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि FSSAI को धारा 16(1) के अन्तर्गत उन विषयों के संबंध में एडवायजरी जारी करने का अधिकार नहीं है जो धारा 16(2) अथवा अधिनियम के अन्य उपबन्धों से संबंधित हो। उक्त निर्णय को मा. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.08.2015 द्वारा यथावत रखा गया। अतः एडवायजरी दिनांक 8.6.2015 इंस्टेंट नूडल के संबंध में शून्य है।

वकील अभियुक्तगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूना की जांच खाद्य विश्लेषक द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई. की एडवायजरी दिनांक 08.06.15 के आधार पर की गई है जबकि अप्रार्थीगण का नमूना की उत्पादन तिथि 4/2015 है किसी भी कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। अतः खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अविधिक है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार Natural Caramel Colour के कारण मेगी नूडल विथ टेस्टमेकर को सबस्टेण्डर्ड माना है, किन्तु विनियम 3.1.2 के अनुसार Natural Caramel Colour खाद्य उत्पाद में प्रयुक्त किये जा सकते है। मेगी नूडल्स में Natural Caramel Colour मिलाने की अनुमति FSSAI द्वारा दिनांक 09.07.2013 के उत्पाद अनुमोदन (Product Approval) के तहत दी गई है। FSSAI की एडवायजरी दिनांक 8.6.2015 एवं वर्ष 2016 में जारी सातवें संशोधन के अन्तर्गत सीजनिंग में Caramal Colour की उपस्थिति अनुज्ञप्त नहीं थी किन्तु पुनः 28.12.2017 को FSSAI के निर्देशन एवं दिनांक 12.11.2018 को जारी शासकीय गजट अनुसार टेस्टमेकर मे Caramel Colour दस हजार मिली ग्राम प्रति किलोग्राम मिलाया जा सकता है।

वकील अभियुक्तगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि खाद्य विश्लेषक ने टेस्टमेकर के पाउच पर आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने के कारण नमूने को मिथ्याछाप घोषित किया है जो त्रुटिपूर्ण व अधिनियम की मंशा के विपरीत है क्योंकि उक्त टेस्टमेकर के विषय में सम्पूर्ण जानकारी बाह्य पैक पर स्पष्टतः अंकित है जिससे ग्राहक को उक्त खाद्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके क्योंकि ग्राहक खाद्य के कय के दौरान बाह्य पैक पर अंकित सूचनाओं के आधार पर ही खाद्य कय करता है। पैक के अन्दर मौजूद टेस्ट मेकर पृथक से बेचने हेतु नहीं है तथा उस पर सूचना मुद्रण करने पर मुद्रण स्याही के सम्पर्क में आने से खाद्य उत्पाद (नूडल्स) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

असुरक्षित होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा जारी उद्घोषणा अनुसार खाद्य पदार्थ मुद्रण स्याही के सीधे सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। वकील अभियुक्तगण ने अपने तथ्यों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत मा. उच्च न्यायालय बोम्बे का निर्णय दिनांक 13.08.2015 (नेसले इण्डिया लिमिटेड बनाम एफ.एस.एस.ए.आई.), मा. फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रब्यूनल, जयपुर का निर्णय दिनांक 01.11.2018 (मनीष कुमार बनाम सरकार अपील संख्या 0025/2017), 30.05.2019 (विनोद कुमार बनाम राज. सरकार अपील संख्या 92/2018), 10.12.2025 (प्रकाश सोनी बनाम राज. सरकार अपील संख्या 52/2018) न्याय निर्णयन अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 16.01.2020 (सुशील कुमार चोटवानी बनाम नवीन व्यास), न्याय निर्णयन अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 06.02.2019 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौसा बनाम हरिनारायण), न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 18.08.2022 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर बनाम संतोष), न्याय निर्णयन अधिकारी चूरू का निर्णय दिनांक 08.11.2016 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आईटीसी लि. प्रकरण संख्या 54/2016 एवं 55/2016) न्याय निर्णयन अधिकारी अजमेर का निर्णय दिनांक 21.12.2016 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आईटीसी लि. प्रकरण संख्या 57/2016 एवं 66/2016) आदि एवं एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा Natural Caramel Colour मिलाने की Product Approval के तहत दी गई अनुमति दिनांक 09.07.2013 की प्रति पेश की गई है।

अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्तगण को आरोपो से मुक्त किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व वकील अभियुक्तगण द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों, दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार Natural Caramel Colour के उपस्थित रहने के कारण मेगी नूडल विथ टेस्टमेकर को सबस्टेण्डर्ड माना है, किन्तु विनियम 3.1.2 के अनुसार Natural Caramel Colour खाद्य उत्पाद में प्रयुक्त किये जा सकते है। खाद्य नमूना मेगी नूडल्स एक प्रोपराइटरी खाद्य है, जिनके लिये 2011 के विनियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि मेगी नूडल्स एक प्रोपराइटरी खाद्य ना हो। प्रकरण में लिये गये नमूने के पैकेट पर ही इसे प्रोपराइटरी खाद्य घोषित किया हुआ है जिसकी पुष्टि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से होती है। किसी खाद्य पदार्थ को अमानक घोषित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके मानक निर्धारित किये गये हो। इस प्रकार प्रोपराइटरी खाद्य जिसका मानक एक्ट में विहित नही है उसे अवमानक घोषित नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 3(1)(zx) के अनुसार कोई नमूना अवमानक घोषित करने हेतु यह अति आवश्यक है कि उसका मानक अधिनियम में विहित हो इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट इस बिन्दु पर त्रुटिपूर्ण है।

खाद्य विश्लेषक ने अप्रार्थीगण के नमूना को 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड माना है। उक्त धारा के अनुसार खाद्य उत्पाद के टेस्टमेकर [illegible] उच पर आवश्यक जानकारियां अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नहीं होने के कारण नमूने को मिथ्याछाप घोषित किया है जबकि उक्त टेस्टमेकर के विषय में सम्पूर्ण जानकारी बाह्य पैक पर स्पष्टतः अंकित है। इस प्रकार मिसब्राण्ड बिन्दु पर भी खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है व स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। टेस्टमेकर जो कि पैकेट के अन्दर होता है जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ नूडल्स का स्वाद बनाने के लिए होता है उस पर अलग से लिखा जाना अपेक्षित नहीं है जबकि टेस्टमेकर के बारे में पैकेट के उपर संसूचनाऐं अंकित है। पैक के अन्दर मौजूद टेस्ट मेकर पृथक से बेचने हेतु नहीं है तथा उस पर सूचना मुद्रण करने पर मुद्रण स्याही के सीधे सम्पर्क में आने से खाद्य उत्पाद (नूडल्स) के असुरक्षित होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। नमूने की उत्पादन तिथि 04/2015 है जबकि उसकी जांच 08.06.2015 को जारी एडवाइजरी के आधार पर की गयी है जो नैसर्गिक न्याय के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किये गये न्याय निर्णयन आवेदन को निरस्त करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:54 IST
Reason: SelfAttested